न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 37/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एच.डी.बी.फाईनेन्सिएल सर्विसेज लि., रजिस्टर्ड कार्यालय राधिका, सैकिण्ड फ्लोर, लॉ गार्डन रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009 एवं शाखा कार्यालय ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी धर्मराज मीणा

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **कुतुबुद्दीन कारीगर एंड सन्स ज्वैलर्स,** पता–वार्ड नम्बर–10, मोहल्ला व्यापारियान, बकरा मंडी, सीकर–332001, राजस्थान, जरिये प्रोपराईटर
   अन्य पता–कुतुबुद्दीन कारीगर एंड सन्स ज्वैलर्स, पता–वार्ड नम्बर 10, मोहल्ला व्यापारियान, बकरा मंडी सीकर, तहसील एवं जिला सीकर–332001, राजस्थान, जरिये प्रोपराईटर
2. **कुतुबुद्दीन एम पुत्र मकबूल कारीगर,** पता–देवीपुरा कोठी, वार्ड नंबर 29, कायमखानी होस्टल के पास, सीकर–332001, राजस्थान
3. **मोहम्मद शकील पुत्र मकबूल कारीगर,** पताः– देवीपुरा कोठी, वार्ड नंबर 29, कायमखानी होस्टल के पास, सीकर–332001, राजस्थान
4. **मोहम्मद इदरिश पुत्र कुतुबुद्दीन कारीगर,** पता–देवीपुरा कोठी, वार्ड नंबर 29, कायमखानी होस्टल के पास, सीकर–332001, राजस्थान
5. **अमीना के पत्नी कुतुबुद्दीन कारीगर,** पताः– देवीपुरा कोठी, वार्ड नंबर–29, कायमखानी होस्टल के पास, सीकर–332001, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 07.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **कुतुबुद्दीन कारीगर एंड सन्स ज्वैलर्स, कुतुबुद्दीन एम पुत्र मकबूल कारीगर, मोहम्मद शकील पुत्र मकबूल कारीगर, मोहम्मद इदरिश पुत्र कुतुबुद्दीन कारीगर** एवं **अमीना के पत्नी कुतुबुद्दीन कारीगर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **कुतुबुद्दीन पुत्र हाजी मकबूल एवं आमना बानो पत्नी कुतुबुद्दीन** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 2711, खसरा नं. 786/35, वार्ड नं. 10, मौहल्ला व्यापारियान, सीकर–332001 राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 220.74 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में कमरूद्दीन का मकान, पश्चिम दिशा में 22 फुट चौडा रास्ता, उत्तर दिशा में सलीम का मकान एवं दक्षिण दिशा में सुल्तान का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 33,50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये तैंतीस लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **18.12..2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।?

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.12..2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **कुतुबुद्दीन कारीगर एंड सन्स ज्वैलर्स, कुतुबुद्दीन एम पुत्र मकबूल कारीगर, मोहम्मद शकील पुत्र मकबूल कारीगर, मोहम्मद इदरिश पुत्र कुतुबुद्दीन कारीगर** एवं **अमीना के पत्नी कुतुबुद्दीन कारीगर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **कुतुबुद्दीन पुत्र हाजी मकबूल एवं आमना बानो पत्नी कुतुबुद्दीन** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 2711, खसरा नं. 786/35, वार्ड नं. 10, मौहल्ला व्यापारियान, सीकर–332001 राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 220.74 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में कमरूद्दीन का मकान, पश्चिम दिशा में 22 फुट चौडा रास्ता, उत्तर दिशा में सलीम का मकान एवं दक्षिण दिशा में सुल्तान का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)